अत्यन्त महत्वपूर्ण
संख्या–538 / पॉच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 13 मार्च, 2020

विषय–कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। वर्तमान समय में प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी कोविड–19 के 11 पुष्ट प्रकरण सामने आये है, जिनका उपचार किया जा रहा है। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये मुझे आप से निम्नवत कहने का निदेश हुआ है:–

1. जनता के बीच में इस बात का व्यापक प्रचार–प्रशार करने की आवश्यकता है, कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नही वरन सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बीमारी का फैलाव संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खॉसने और छींकने पर मुॅह एवं नाक से निकलने वाले 'ड्रापलेट्स' के माध्यम से होता है। अतः लोगो को छींकते–खॉसते समय रूमाल अथवा टिशू पेपर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाये। साथ ही साथ साबुन एवं पानी से हाथ साफ करते रहने, का सुझाव भी दिया जाये, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके।
2. जनपदों में कोरोना वायरस का एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये तथा इसके फोन नम्बर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय के फोन नम्बर–0522–2230006, 2230009, 2616482, 26110066, 1800–180–5145 तथा भारत सरकार के हेल्पलाईन नम्बर–91–11–23978046 का भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।
3. जिला अस्पताल में संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेशन मे रखने हेतु वार्ड की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के अधिकांश चिकित्सा महाविद्यालयों मे भी ऐसे वार्ड की व्यवस्था की गयी है। इसका स्वयं निरीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि इस संबंध में उपयुक्त व्यवस्था आपके जनपद में उपलब्ध हैं।
4. यह सुनिश्चित करे कि जनपद के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य संवंध कर्मियों को बचाव, रोकथाम तथा उपचार के संबंध में समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया जाये।

–2–

Scanned with CamScanner

5. लोगों को भीड़–भाड़ वाले जगहों में जाने से रोकने के लिये सलाह दिया जाये तथा बहुत ज्यादा भीड़ वाले आयोजनों को यथा सम्भव हतोत्साहित किया जायें।
6. लोगों के मध्य इस बात का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायें कि मास्क की आवश्यकता केवल संक्रमित व्यक्तियों तथा इनकी चिकित्सा करने वाले चिकित्साकर्मियों को ही है। सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।
7. संक्रमित व्यक्तियों के छींकने एवं खॉसने से विषाणु सतह पर गिरते है और वहॉ पर काफी समय तक क्रियाशील रहते है। इसलिए यह आवश्यक है कि नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थायें सार्वजनिक स्थानों की अच्छी साफ–सफाई करें तथा इसके लिये एक प्रतिशत हाईपोक्लोराइड सलूशन का अथवा अन्य डिसइन्फेकटेन्ट का प्रयोग किया जायें।
8. प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के शिक्षण संस्थानों के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों में दिनॉक–22 मार्च, 2020 तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है, जिसका आदेश संबंधित विभागों के द्वारा पृथक–पृथक भी जारी किए जायेगा। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा आदि की परीक्षाऍ यथावत चलती रहेंगी। केवल बेसिक शिक्षा विभाग की परीक्षायें 22 मार्च, 2020 के पश्चात् कराई जायेंगी। यह उपयुक्त होगा कि परीक्षा के पहले शिक्षण संस्थानों के द्वारा परीक्षा वाले कक्षों की अच्छी साफ–सफाई की जाए तथा कुर्सी और मेज को भी डिसइन्फेक्ट किया जाए ताकि यह बीमारी फैलने न पाए।
9. प्रदेश में कोरोना वायरस के विषाणु की जॉच के लिए तीन संस्थानों को भारत सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है, जो क्रमशः के0जी0एम0यू0, लखनऊ, बी0एच0यू0 मेडिकल कालेज, वाराणसी एवं जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ है। किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखायी पड़ने पर सैम्पल को सुविधानुसार इन तीन में से किसी एक संस्थान को प्रेषित किया जाए। कुछ अन्य संस्थानों को भी इस हेतु तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।
10. चीन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा ईरान इन सात देशों की यात्रा दिनॉक–15 फरवरी, 2020 के बाद करने वाले व्यक्तियों पर विशेष ध्यान रखा जाए तथा भारत सरकार के द्वारा दिए गए गाइड लाइन द्वारा उनके कोरेंटाइन के संबंध में कार्यवाही की जाए।
11. इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों का सहयोग लिया जाए जिसमें केन्द्र सरकार के विभाग यथा–रेलवे, सेना, केन्द्रीय श्रम विभाग के अस्पताल आदि, निजी क्षेत्र के चिकित्सकों, आई0एम0ए0 इत्यादि का भी सहयोग लिया जाए।
12. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या–503/पॉच–5–2020 दिनॉक–04.03.2020 में मण्डल स्तरीय एवं जनपद स्तरीय आउट ब्रेक रेसपांस कमेटी के गठन के निर्देश दिए गए हैं। उसकी नियमित बैठके की जाए एवं आश्यकतानुसार शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

–3–

Scanned with CamScanner

13. वर्तमान में इस बीमारी की कोई वैक्सीन अथवा कोई दवा उपलब्ध नहीं है। अतः सावधानी बरत कर इससे बचाव ही सबसे उपयुक्त सिद्ध होगा। इस हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जन–जागरूकता की आवश्यकता है। इसके निमित्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायतीराज विभाग, नगर विकास विभाग, परिवहन विभाग एवं सूचना विभाग के द्वारा जागरूकता फैलाने हेतु पोस्टरों को छपवा कर विभिन्न सार्वजनिक स्थल यथा–चिकित्सालय, बस स्टैण्ड, शिक्षण संस्थानों, पंचायत घर, कलेक्ट्रेट, तहसीलों, विकास खण्ड, नगर निकायों, रेलवे स्टेशनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इसके पोस्टर लगाएँ जाएँ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
13.03.2020
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या–538(1)/पाँच–5–2020 तद्दिनॉक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, नगर विकास, राजस्व, गृह, चिकित्सा शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, आयूष विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
5. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
13.3.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

Scanned with CamScanner